

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

कमांक:--स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1439 / 2023 दिनांक : 12.05.2023

सुश्री रंजना सराफ (RJ00403), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायायधीकरण, टोंक को दिनांक 23.05.2023 से 26.05.2023 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 21.05.2023 से 22.05.2023 एवं 27.05.2023 से 28.05.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित किया जाता है

सुश्री सराफ की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायायधीकरण, टोंक के पद पर ही होने की संभावना है ।


आज्ञा से

11.05.2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:--स्था.बी.2(4)/36/2002/3143

दिनांक : 12.05.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।
3. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायायधीकरण, टोंक को उनके पत्रांक 80 दिनांक 13.03.2023 के सन्दर्भ में ।
4. सुश्री रंजना सराफ (RJ00403), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायायधीकरण, टोंक।


12.5.2023
सहायक रजिस्ट्रार